राजस्व अपील संख्या 491/2022

अनवान

बुधपुरी वगैराह बनाम उपखण्ड अधिकारी वगैराह

दिनांक 15–09–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2021/883 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 28.01.2022 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, भोपालगढ उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे और मौका फर्द तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करे एवं उक्तानुसार प्रस्तुत मौका फर्द तथा सुनवाई किये जाने के पश्चात अगर आवश्यक हो तो उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर